



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1935 (श0)  
(सं0 पटना 373) पटना, बृहस्पतिवार, 9 मई 2013

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं  
9 मई 2013

एस०ओ० 220, दिनांक 9 मई 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची I तथा अनुसूची II में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

#### संशोधन

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I का क्रमांक 60 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—  
“60 सभी प्रकार का नारियल जिसमें सुखा नारियल, गड़ी गोला तथा कोमल हरा नारियल, जिसे सामान्यतः डाभ के नाम से जाना जाता है, शामिल है”
2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I का क्रमांक 71 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—  
“71 सामान्यतः अगरबत्ती के नाम से जाने जानेवाला इन्सेन्स स्टिक, धूप काठी, धूपबत्ती, हवन सामग्री जिसमें सोमब्रानी, लोहबान, असुगंधित स्टिक तथा अगरबत्ती शामिल है”
3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 91 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा—  
“92 कुर्ची, मटर एवं राजमा  
93 मेडिसिनल ग्रेड ऑक्सीजन”
4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची II का क्रमांक 6 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।
5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची III के भाग 3 के क्रमांक 34 की अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा—  
“हार्डड्रोजन तथा सभी रेयर गैस”

6. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-03/2013—1588(अनु०)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

**9 मई 2013**

एस०ओ० 221, एस०ओ० 220, दिनांक 9 मई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-03/2013—1588(अनु०)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

***The 9th May 2013***

S.O. 220, dated 9th May 2013—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Schedule I and Schedule II appended to the said Act, namely—

**Amendments**

1. Serial Number 60 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely—

“60 All kinds of Coconut including dry coconut, gari gola, and tender green coconut commonly known as daab”

2. Serial Number 71 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely—

“71 Incense stick commonly known as agarbatti, dhupkathi, dhupbati and havansamagri including sombrani, lohkhana, non-incense stick and agarbatti”

3. After Serial Number 91 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 the following new serial numbers and their corresponding entries shall be added, namely—

“92 Kurthi, Matar and Rajma

93 Medicinal Grade Oxygen.”

4. Serial number 6 of Schedule II appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.

5. The corresponding entries of Serial Number 34 of Part 3 of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely—

“Hydrogen and Rare gases”

6. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[File No. Bikri Kar/Sansodhan-03/2013—1588(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

NARENDRA KUMAR SINHA,

*Commissioner-cum-Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 373-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>